सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 449/16 **निर्णय दिनांकः– 28–08–2019**

1. हंसगिरी पुत्र मानगिरी जाति गुसाई निवासी कांधरली तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 10–01–2011
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

<u>उपस्थिति :–</u>

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया व मूल सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 10–01–2011 जिसके द्वारा अपीलांट को आंवटित भूमि को एकतरफा तौर पर खारिज करते हुए कब्रिस्तान हेतु आवंटित कर दी गई, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/29 के किला नम्बर 1 ता 3, 7 ता 19, 20 ता 25 कुल तादादी 22 बीघा

कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का कब्जा भी दिनांक 02—08—2006 को प्राप्त कर लिया गया। तत्पश्चात् अपीलांट को आवंटित भूमि का इंतकाल संख्या 2 दिनांक 07—08—2006 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। तभी से अपीलांट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा मौके पर ढाणी तथा पानी का कुण्ड बना हुआ है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व बिना वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना अपीलांट को आवंटित भूमि में से किला नम्बर 3, 7, 8, 14 ता 17, 24 व 25 की 9 बीघा भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 6(2)(2) के तहत गैर मुमकिन कब्रिस्तान हेतु सेट अपार्ट कर अपीलांट का आवंटन निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किया गया आदेश है। क्योंकि आवंटन नियम 1975 के नियम 6(2)(2) के तहत भूमि सेटअपार्ट करने का अधिकार कलेक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन को प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि के मौके की वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट को आवंटित 22 बीघा भूमि पर कहीं भी कब्रिस्तान की भूमि नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के आवंटन को निरस्त किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित भूमि के मौके पर मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान बना हुआ है तथा मौके पर अपीलांट का कब्ज काश्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर

प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को सीपीसी के आदेश 41 नियम 13 (2) के हवाले से मूल पत्रावली भिजवाने की अपेक्षा की गई। परीक्षण न्यायालय द्वारा गत् 03 वर्षो के दौरान बार–बार स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद पत्रावली एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। पक्षकारों ने संभावना जाहिर की है कि अपील प्रस्तुत करने के उद्वेश्य को निष्फल करने के लिये परीक्षण न्यायालय के कार्मिकों ने मूल दस्तावोज गायब कर दिये है। गत् 03 वर्षो तक बार–बार तलबी जारी होने के उपरान्त पत्रावली उपलब्ध नहीं करवना उक्त संभावनाओं की पुष्टि करता है। ऐसी स्थिति में जहॉ परीक्षण न्यायालय द्वारा मूल रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियों पर विश्वास करते हुए अपील का निस्तारण करने के अलावा अपील न्यायालय के पास कोई विकल्प नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर इस अपील का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 10–01–2011 के विरूद्व अपील दिनांक 05–01–2012 को पेश की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील की सूचना विलम्ब से प्राप्त होना स्वाभाविक है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाकर अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन आवंटन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर

अपीलांट को तहसील कोलायत के चक 11 बीएलएम के मुरब्बा नम्बर 230/29 के किला नम्बर 1 ता 3, 7 ता 19, 20 ता 25 कुल तादादी 22 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् मौके पर कब्जा भी प्रदान किया गया व कालान्तर में अपीलांट को आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में जरिये इंतकाल संख्या 2 दिनांक 07—08—2006 के द्वारा अंकन भी किया जा चुका है। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा विधि सम्मत तरीके से दिनांक 09—06—2006 को आवंटित भूमि को आवंटी को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना व बिना मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना आवंटन के करीब 05 वर्ष उपरान्त एक ही दिन में खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश निहित शक्तियों से परे जाकर कब्रिस्तान के लिये सेट अपार्ट करने का निर्णय एकतरफा, मनमाना, विधि विरूद्व एवं अविवेकपूर्ण होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है।

7. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10—01—2011 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 28—08—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर